न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–194/2015

जयनारायण चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 लालपरी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

14.12.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 24.09.2021 को दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से आज प्रत्युत्तर दाखिल किया गया।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक 22.02.2021 को न्यायालय द्वारा 1500 रू. खर्चे के साथ वादीगण का संशोधन आवेदन स्वीकृत किया गया है, लेकिन वादीगण के जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाने तथा कोरोना महामारी के कारण खर्चा जमा नहीं कर सके, जिस कारण वादपत्र में संशोधन नहीं हो सका। अतः निवेदन है कि संशोधन करने हेतु निर्धारित अवधि को विस्तारित करने की कृपा की जाय।

इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–3 का कहना है कि वादीगण का आवेदन परिपालनीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि वादीगण के संशोधन आवेदन को खर्चे के साथ दिनांक 22.02.2021 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद जान बूझकर वादीगण द्वारा संशोधन नहीं किया गया तथा लगभग 7 महीने बाद संशोधन की अवधि विस्तारित करने का आवेदन दिया गया है। वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह कब तक तथा किस स्थान पर जीविकोपार्जन हेतु गए थे। अतः वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 22.02.2021 को न्यायालय द्वारा वादीगण का संशोधन आवेदन 1500 रू. हर्जे के साथ स्वीकृत किया गया था। वादीगण का कहना है कि वे जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले गए थे जिस कारण हर्जे का भुगतान तथा वादपत्र में संशोधन नहीं कर पाये। अब चूँकि वादीगण हर्जे का भुगतान कर वादपत्र में संशोधन करने हेतु अवधि को विस्तारित करना चाहते हैं। ऐसी दशा में वादीगण का आवेदन न्याय हित में 200 रू. हर्जे के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि वह हर्जे का भुगतान कर आगामी निर्धारित तिथि तक वादपत्र मे अपेक्षित संशोधन करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम

पश्चात

प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से एक आवेदन दिनांक 24.09.2021 को दाखिल किया गया है, जिस संबंध में वादीगण की ओर से आज प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी संख्या–3 का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–3 संघर्ष कर रही है तथा वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 03.09.2020 आदेश 6 नियम 17 पर सुनवाई करते हुए दिनांक 22.02.2021 को न्यायालय द्वारा 1500 रू. हर्जे पर आदेश पारित किया गया था, लेकिन 7 माह बीतने के बाद भी वादीगण द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 22. 02.2021 को पारित आदेश वापस लिया जाय।

<u>लगातार</u>
<u>दिनांक 14.12.2021</u>

इस संबंध में वादीगण का कहना है कि प्रतिवादी संख्या–3 का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या–3 का कहना सही है कि वादीगण का आवेदन 1500 रू. हर्जे पर दिनांक 22.02.2021 को स्वीकृत किया गया था, लेकिन वादीगण गरीब हैं तथा मजदूरी करने हेतु बाहर चले गए थे, इसीलिए खर्च जमा नहीं कर सके तथा अभिलेख में संशोधन नहीं किया जा सका। वादीगण द्वारा जान बूझकर संशोधन करने में विलंब नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2021 द्वारा वादीगण का संशोधन आवेदन स्वीकृत हुआ था, किन्तु वादीगण द्वारा संशोधन नहीं किया जा सका। इस संबंध में वादीगण के आवेदन दिनांक 24.09.2021 पर आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त आदेश के आलोक में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन निस्तारित किया जाता है। वास्ते बहस हेतु अभिलेख दिनांक 03.01.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)